सं.एन-41011/06/2023-बीसी-III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 15 जून, 2023

सेवा में,

सभी टीवी चैनल

विषय: **चक्रवात** "बिपरजॉय" पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में शामिल मीडिया कर्मियों की **सुरक्षा के लिए सावधानियां।**

जैसा कि मीडिया को पहले से ही ज्ञात है, चक्रवात " बिपरजॉय " के निकट भविष्य में देश के पश्चिमी तट से टकराने की आशंका है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। जहां केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं मीडिया कर्मियों, विशेष रूप से सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा चक्रवात और अन्य संबंधित घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की पूरी संभावना है। चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए, जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग करने से पत्रकारों और इस घटना की रिपोर्टिंग के लिए प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा तैनात कैमरामैन और अन्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। सरकार इस संबंध में बहुत चिंतित है कि इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग में तैनात विभिन्न कर्मियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

2. विभिन्न मीडिया संगठनों, विशेषकर प्राइवेट टीवी चैनलों के विभिन्न पत्रकारों, कैमरामैन और अन्य कर्मियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सख्ती से यह सलाह दी जाती है कि मीडिया संगठन प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्रों में अपने कार्मिकों को तैनात करने के संबंध में उचित सावधानी बरते और उनके कर्मिक ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जा रही सावधानियों का पालन करेंगे और किसी भी परिस्थिति में ऐसे कर्मियों की ऐसी तैनाती का निर्णय न लें जिससे मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा से समझौता हो।

हस्ता-/-

(प्रतीक जैन)

उप निदेशक

दूरभाष: 2373316

ईमेल: prateekjain.89@gov.in

प्रतिलिपि:

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों के स्व-विनियामक निकाय।

2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ/निकाय

3. महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार/आकाशवाणी

4. सचिव, भारतीय प्रेस परिषद